श्री कुलदीप नारायण, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2011 को सम्पन्न विभिन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक की कार्यवाही :-

---

- **उपस्थित पदाधिकारी :-**

1.	कुलदीप नारायण	जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2.	राजीव प्रसाद सिंह रंजन	अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3.	मुर्शीद आलम	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
4.	राम निवास पांडेय	जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
5.	ब्रज बिहारी शर्मा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
6.	आमोद शरण	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।
7.	राजेश कुमार गुप्ता	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी जिला राजस्व शाखा।
8.	कुशेश्वर दास	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
9.	भानू प्रकाश	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी आपदा प्रबंधन शाखा।
10.	मुकेश कुमार अग्रवाल	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी जिला सामान्य एवं शस्त्र शाखा।
11.	आजाद शहाबुद्दीन	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी जिला नीलाम पत्र पदा०, मुंगेर।
12.	राजेश कुमार	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी जिला विकास शाखा।
13.	अजय कुमार तिवारी,	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी जिला विधि शाखा, मुंगेर।
14.	आलोक कुमार	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी जिला स्थापना शाखा।
15.	आशीष नारायण	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर।
16.	आलोक कुमार	व०उ०स०, मुंगेर प्रभारी मंडल कारा, मुंगेर।
17.	के० के० यादव	जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
18.	रामाशीष राम	जिला भू-अर्जन पदाध्किारी, मुंगेर।

प्रायः यह देखा गया है कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में निर्धारित प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक हेतु अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन बैठक के एक दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होता है। इस हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस माह में दिनांक 12.10.2011 तक अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन निश्चित ~~रूप से अधोहस्ताक्षरी~~ के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा आगामी माह से प्रत्येक 7वीं तारीख तक उक्त बैठक से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना अपनी कार्य योजना में सवोच्च प्राथमिकता दी जाय।

प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में विकास संबंधी प्रगति प्रतिवेदन का संकलन उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं राजस्व संबंधी प्रतिवेदन का संकलन अपर समाहर्त्ता, मुंगेर अपने अनुश्रवण में तैयार कर प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री विश्वास यात्रा से संबंधित विहित प्रपत्र में सभी विभार्गो के प्रतिवेदन संकलन हेतु श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर अपने अनुश्रवण में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए दिनांक 11.10.2011 तक अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उलपब्ध करायेंगे।

तत्पश्चात् विभागवार साप्ताहिक कार्य योजना के प्रगति की समीक्षा की गयी एवं संबंधित शाखाओं के वरीय पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गये :-

1. जिला नीलाम पत्र शाखा (मो0 शहाबुद्दीन, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला नीलाम पत्र, मुंगेर)

मो0 शहाबुद्दीन को जिलाधिकारी ने उनकी भावी कार्य की प्रगति में वृद्धि लाने हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- जिला स्तरीय/प्रखंड स्तरीय एवं थाना स्तरीय सभी बड़े बकायेदारों की वसूली के उपरान्त बैंकवार अद्यतन सूची उपलब्ध कराना।

2. जिला राजस्व शाखा (श्री राजेश गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुंगेर) :-

श्री गुप्ता को साप्ताहिक कार्यो की प्रगति में तेजी लाने हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- निर्मित सामुदायिक सूचना केन्द्र में हल्का कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के बैठने संबंधी अंचलाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपर समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा हल्का संख्या के अनुपात में हल्का कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण बनाये गये रोस्टर को अधोस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर अधोस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम अंचलवार रोस्टर की प्रति संबंधित अंचल के वरीय उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जाय। तत्पश्चात् संबंधित अंचल के वरीय उप समाहर्त्ता इस सप्ताह स्थलीय निरीक्षण कर यह प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि क्या रोस्टर के अनुरूप हल्का कर्मचारी आवंटित हल्कों में निर्धारित दिवस के अनुसार बैठते है अथवा नहीं। साथ ही प्रतिवेदन में यह उल्लेख अवश्य करें कि हल्का कर्मचारी का बक्सा संबंधित हल्के में है अथवा अन्यत्र स्थान पर रखा गया है।
- अपर समाहर्त्ता यथाशीघ्र टेटियाबंबर में पदस्थापित अमीन की प्रतिनियुक्ति सदर शहर एवं अंचल के लिए/असरगंज में पदस्थापित अमीन की प्रतिनियुक्ति जमालपर के लिए तथा खड़गपुर में पदस्थापित अमीन को अतिरिक्त प्रभार के रूप में टेटियाबंबर अंचल में प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश निर्गत करेंगे।
- कर्पूरी छात्रावास के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव इस सप्ताह तक आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ निश्चित रूप से भेज दिया जाय।
- डाटा सेन्टर अधिष्ठापन हेतु प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर से व्यय प्रतिवेदन की मांग करें साथ ही उक्त कार्य में आमंत्रित निविदा की अद्यतन स्थिति एवं Requirement क्या है, संबंधी प्रतिवेदन की मांग करना सर्वोच्च प्राथमिकता।
- नये प्रखंड के लिए जमीन चिन्हित करना, प्रस्ताव तैयार कर भेजना एवं अन्य सभी कार्यो का अनुश्रवण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर करते रहेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य से अवगत कराते रहेंगे।

3. खास महाल कार्यालय (श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मुंगेर) :-

श्री नारायण को उनकी भावी कार्य योजना हेतु निम्न निदेश दिया गया:-

- खास महाल भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने हेतु जिले में चलाये जा रहे अभियान की अद्यतन स्थिति की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर से प्राप्त करना।

4. जिला पंचायत कार्यालय (श्री आमोद शरण, जिला पंचायती राज पदा0, मुंगेर) :-

श्री शरण की साप्ताहिक कार्य की प्रगति में सुधार कर आगामी साप्ताहिक बैठक में निश्चित रूप से प्रदत्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया:-

- सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पंचायत निर्वाचन में हुए व्यय की विस्तृत विवरणी प्राप्त करेंगे।
- पंचायत निर्वाचन में जिले के खर्च के आधार पर आवंटन की मांग विभाग से करें।

5. जिला विकास शाखा (श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी जिला विकास शाखा, मुंगेर) :-

श्री कुमार को जिलाधिकारी द्वारा निम्न निदेश दिये गये :-

- ग्राम विकास शिविर की शत-प्रतिशत प्रगति प्राप्त करने हेतु श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर सभी संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को दिनांक 14.10.11 (शुक्रवार) को अपराह्न 2:00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक के आयोजन की सूचना निर्गत करेंगे।
- श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, व0उ0स0/श्री अजय कुमार तिवारी, व0उ0स0 एवं श्री राजेश कुमार, व0उ0स0, मुंगेर आपसी समन्वय स्थापित कर स्थापना दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों, यथा- सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्मारिका विमोचन, सेमिनार, कवि सम्मेलन इत्यादि के सफल संचालन हेतु जिले के प्रबुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों, प्रधानाध्यापकों, चिकित्सकों, गैर सरकारी संस्थानों के महानुभावों की एक सूची तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिनसे स्थापना दिवस को सफल बनाने एवं उनकी सहभागिता प्राप्त करने हेतु गठित होने वाले टीम में शामिल किया जा सके।

6. जिला नजारत शाखा (श्री अमिताभ सिंहा, वरीय उप समाहर्त्ता -सह- प्रभारी जिला नजारत शाखा, मुंगेर) :-

श्री सिंहा के अवकाश पर रहने के निमित्त पूर्व बैठक में दिये निदेश को यथावत् रखा जाता है जो निम्न है :-

- वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी जिला विकास शाखा एवं नजारत शाखा संयुक्त रूप से फुटबॉल सामग्री क्रय हेतु संबंधी संचिका यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचीबद्ध आवश्यकतानुसार Relief equipment एवं पुस्तकालय सामग्री की खरीदगी इस सप्ताह तक निश्चित रूप से कर लिया जाय।
- समाहरणालय, मुंगेर में विद्युत बिल का पूर्णतः भुगतान होने के पश्चात् विद्युत प्रमंडल द्वारा बार-बार विद्युत बिल भेजे के निदान हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को स्मार पत्र प्रेषित करे।

7. जिला स्थापना शाखा (श्री आलोक कुमार, स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर) :-

श्री कुमार को उनकी भावी साप्ताहिक कार्य योजना की प्रगति तीव्र करने हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- दिनांक 14.10.11 को निर्धारित विकास की बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इस आशय का पत्र निर्गत करना कि शीर्ष 2053 में वेतन मद के अतिरिक्त विभिन्न मदों में किये गये खर्च की विवरणी से संबंधित प्रतिवेदन साथ लेकर आयेंगे।
- जिले में नवनियुक्त 41 महिला पर्यवेक्षिकाओं की पदस्थापना हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर से परियोजनावार रिक्ति की विवरणी प्राप्त कर संचिका यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

- सभी प्रखंड एवं अचंल में संविदा पर नियुक्त सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन के विरूद्ध माहवार भुगतान कराना।

8. सामाजिक सुरक्षा कार्यालय (श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर) :-

श्री दास को जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक कार्य योजना की प्रगति हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित लाभान्वितों की अद्यतन सूची इस सप्ताह तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय। साथ ही 80 वर्ष से उपर के लाभान्वितों की सूची अलग से तैयार उपलब्ध कराया जाय।
- बारम्बार निदेश के बावजूद सिविल सर्जन द्वारा सर्वेक्षित विकलांगों की सूची उपलब्ध नहीं कराने के प्रश्न पर निदेश दिया गया कि उन्हें सख्त हिदायत देते हुए पुनश्च पत्र निर्गत किया जाय। तदोपरान्त उक्त विकलांगों की प्रखंडवार एवं पंचायतवार सूची संबंधित प्रखंड के वरीय उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जाय जिसे वरीय उप समाहर्त्ता स्वयं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत विकलांग लाभुकों के बीच ट्राई साईकिल वितरण करेंगे।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं कबीर अन्त्येष्टि योजना हेतु प्राप्त आवंटन के विरूद्ध वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. जिला कल्याण कार्यालय (श्री मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदा0, मुंगेर) :-

श्री सिन्हा के कार्यालय कार्य की वजह से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के मद्देनजर पूर्व बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निदेश यथावत रखे जाते है जिसकी समीक्षा आगामी साप्ताहिक बैठक में की जाएगी जो निम्न है :-

- वर्तमान में चल रही चयन की प्रक्रिया के उपरान्त महिला विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही अल्पावास गृह/हेल्पलाईन एवं अन्य योजना जैसे सामाजिक पुनर्वास कोष योजना इत्यादि कार्यक्रमों के संचालन हेतु सभी संचिकाएं जिला प्रोग्राम कार्यालय को हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।
- अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण की स्थलीय निरीक्षण समय-समय पर अवश्य करते रहें।
- Special Component Plan की विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को महादलित विकास मिशन अन्तर्गत बन रहे सामुदायिक भवन के संबंध में पत्र निर्गत करें कि आगामी विकास की बैठक में उक्त योजना से संबंधित प्रतिवेदन बैठक में अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

10. जिला प्रोग्राम कार्यालय (श्री ब्रज बिहारी शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर) :–

श्री शर्मा के साप्ताहिक कार्य योजना पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि वे अपनी कार्य कुशलता एवं कार्य के प्रति सजगता बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तदोपरान्त उनके भावी कार्य योजना पर निम्न निदेश दिये गये :–

- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों की सूची अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रखंड विकास पदाध्किारियों की बैठक के पूर्व अपना एजेंडा तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- जिले के सभी परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों की कम्प्यूटरीकृत विस्तृत सूची उपलब्ध कराते हुए निदेशित किया गया कि उक्त सूची बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध करया जाय एवं निदेश निर्गत किया जाय कि वे इसे अद्यतन अर्थात् नये एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को जोड़ते हुए सूची यथाशीघ्र वापस करें।
- ''युद्ध स्तर पर निरीक्षण सह ग्रेडिंग प्रणाली'' अन्तर्गत जमालपुर परियोजना के निरीक्षण हेतु सभी तैयारियॉ पूरी कर ली जाय।

11. जिला आपूर्त्ति शाखा (श्री आलोक कुमार, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर) :–

श्री कुमार के साप्ताहिक कार्य योजना की शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की अद्यतन सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी से सॉफ्ट प्रति में प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना।
- पणन पदाधिकारी, संग्रामपुर के पास दुरमट्टा पंचायत का एक भी कूपन नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार पणन पदाधिकारी, सदर द्वारा किसी और पंचायत का कूपन कहीं और लिया जा रहा है जो अहस्ताक्षरित है एवं उसके पीछे डीलर का नाम भी अंकित नहीं है। अतएव संबंधित सभी प्रखंडों के वरीय उप समाहर्त्ता दो–तीन पंचायतों के अगस्त माह के कूपन की जांच करेंगे।
- यह अत्यन्त ही खेदजनक है कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी द्वारा विगत कई माह से जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण नहीं किया गया है, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। इस निमित्त निदेश दिया जाता है कि आपूर्त्ति की बैठक के पूर्व प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन संकलित कर बैठक में उपस्थापित किया जाय।

12. अन्यान्य :–

- बरियारपुर, सदर, धरहरा एवं विशेषकर जमालपुर अंचल से ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले प्रमाण पत्रों में बिचौलियों की संलिप्तता है। अतः बिचौलियों की पहचान हेतु सभी प्रखंड एवं अंचलों के वरीय उप समाहर्त्ता स्थल निरीक्षण के दौरान इसकी जांच कर संलिप्त बिचौलियों की पूर्ण विवरणी एवं उनके इस कार्य में सहभागी कर्मियों से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही निरीक्षण के दौरान यह अवश्य जांच करेंगे कि प्राप्त प्रमाण पत्र का क्रम maintain किया जा रहा है अथवा नहीं।
- प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि सेवा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत दाखिल खारिज के आवेदन अंचलों में नहीं लिया जा रहा है एवं उसे शिविर में प्रतिवेदित कर दिया जाता है ताकि उक्त आवेदन समय सीमा के अन्दर न आए यह अत्यन्त ही खेदजनक है। अतः निदेशित किया जाता है कि जो आवेदन शिविर में प्राप्त होते हैं उसकी इंट्री सेवा

के अधिकार अधिनियम हेतु अंचलों में अधिष्ठापित काउण्टर पर अवश्य की जाय।

➢ प्रत्येक माह आयोजित होने वाली विकास एवं राजस्व की बैठक के दो दिन पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से मांगे जाने वाले प्रतिवेदन का एजेन्डा सभी कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के दृश्य के पश्चात् श्री राजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला विकास शाखा विकास की बैठक के लिए प्राप्त एजेंडों को संकलित कर बैठक के दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार राजस्व की बैठक हेतु प्राप्त एजेंडों का संकलन अपर समाहर्त्ता, मुंगेर करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह० 13/10/11

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2523 /गो0, दिनांक 13/10/2011

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/सभी वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर जिला/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर /जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 13/10/11

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2523 /गो0, दिनांक 13/10/2011

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर//जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 13/10/11

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2523 /गो0, दिनांक 13/10/2011

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 13/10/11

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।